(42)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भूरा/2017/4397 विरूद्ध आदेश दि. 14-8-2017 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण क्रमांक 156/अपील/2014-15

नर्वदीबाई विधवा स्व0श्री भैयालाल किरार
निवासी ग्राम हरदौट तहसील गैरतगंज,
जिला रायसेन म0प्र0

.....आवेदिका

विरूद्ध

1-गंगाराम पुत्र स्व0श्री भैयालाल किरार
निवासी ग्राम हरदौट तहसील गैरतगंज,
जिला रायसेन म0प्र0
गुलाबबाई पुत्री स्व0श्री भैयालाल किरार
पत्नी राजेश किरार
निवासी बरेली तहसील गैरतगंज जिला रायसेन
3-मृत चंद्रेश बाई पुत्री स्व0श्री भैयालाल किरार
पत्नी श्री रामस्वरूप किरार
निवासी ग्रामत बडोदा तहसील व जिला रायसेन
मृत चंद्रेश बाई के उत्तराधिकारीगण
3(अ) राधिका पुत्री स्व0श्री चंद्रेशबाई
3(ब) निकिता पुत्री स्व0श्री चंद्रेशबाई
3(स) सुमत पुत्र स्व0श्री चंद्रेशबाई
तीनों ही पुत्रगण रामस्वरूप आ0श्री मिश्रीलाल संरक्षक
ग्राम बडोदा तहसील व जिला रायसेन
4-प्रीतीबाई पुत्री स्व0श्री भैयालाल किरार
पत्नि श्री माधोसिंह किरार
5-अंगूरीबाई पुत्री स्व0श्री भैयालाल किरार

6-कालूराम पुत्र श्री घासीराम राय
निवासीगण ग्राम हरदौट तहसील गैरतगंज,
जिला रायसेन म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदिका
श्री अनोज गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1 व 6

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/2/19 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-8-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय गैरतगंज जिला रायसेन के मौजा हरदौट की संशोधन पंजी संशोधन क्रमांक 7 प्रमाणित दिनांक 29-9-1996 से परिवेदित होकर आवेदक ने अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के समक्ष 16 वर्ष उपरांत अवधि बाहय अपील प्रस्तुत की जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23-7-2015 को अवधि बाहय होने से अमान्य की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 14-8-2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत् रखते हुये अपील अस्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिकापक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) निगरानीग्रस्त कृषि भूमि आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 2 से 5 ही एकमात्र स्वत्व अंशधारी है तथा स्वत्व हितधारी होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने पर भी मूल न्यायालय तहसीलदार ने फौती नामान्तरण पंजी को प्रमाणित करते समय इन लोगो को व्यक्तिशः सूचना नामान्तरण नियमों के अनुसार नहीं दी और न ही पूर्व नामान्तरण पंजी क्रमांक 48 वर्ष 1994 को ध्यान में लिया । इस तरह तहसीलदार ने नामान्तरण पंजी पर ही विधिके विपरीत बंटवारा

अंकित कर निगरानीग्रस्त आदेश पारित किया है इसलिये उक्त पर समय सीमा का बंधन लागू नहीं होता है इस ओर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाकर विधि के विपरीत आदेश पारित किये है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) फौती नामान्तरण के समय अनावेदक क्रमांक 1 को कोई स्वत्व अंश भैयालाल किरार की भूमि में शेष नहीं रहा था तथा कपटपूर्वक तहसीलदार से निगरानी ग्रस्त आदेश पारित करवाया है ऐसी स्थिति में परिसीमा का बंधन लागू नहीं होता है ।

(3) अनावेदक क्रमांक 1 ने तहसील न्यायालय से कपटपूर्वक अपना नाम नामान्तरण करवाया है तथा पुनरीक्षणकर्ता व उसकी पुत्रियों के मालकाना हक की भूमि को हडपा है ।

(4) अनावेदक क्रमांक 1 ने बगैर कोई स्वत्व अंश पुनरीक्षण ग्रस्त कृषि भूमि में न होने पर भी आवेदक व उसकी पुत्रियों के मालकाना हक की कृषि भूमि को अपंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से अनावेदक क्रमांक 6 को तथाकथित विक्रय किया ।

उनके द्वारा दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त कर अपील को समयावधि में मान्य करने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदकपक्ष क्रमांक 1 व 6 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) उभयपक्ष एक ही परिवार के सदस्य हैं । अनावेदक क्रमांक 1 स्व0 भैयालाल का पुत्र है एवं आवेदक स्व0भैयालाल की पत्नी होकर अनावेदक क्रमांक 1 की मॉ है ।

(2) स्व0 भैयालाल के स्वत्व की 31.86 एकड़ भूमि ग्राम हरदौट में से 15.71 एकड़ भूमि स्व0भैयालाल ने अपने जीवनकाल में विधिवत् अपने पुत्र अनावेदक क्रमांक 1 को बंटवारे में वर्ष 1994 में दे दी थी तथा शेष भूमि अपने पास रखी थी जब स्व0भैयालाल द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 को उक्त भूमि दी गई थी उक्त पंजी क्रमांक 48 दिनांक 1-11-94 पर अंकित है व उस पर सभी के हस्ताक्षर है ।

(3) भैयालाल की मृत्यु होने के पश्चात शेष बची भूमि भैयालाल के सभी विधिक उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरण पंजी क्रमांक 7 प्रमाणीकरण दिनांक 29-6-1996 के द्वारा दर्ज की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता तहसील न्यायालय द्वारा नहीं की गई है।

(4) आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में जो तर्क अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों की अवैधता के संबंध में प्रस्तुत किये गये हैं वह निरर्थक एवं असंगत है क्योंकि विचाराधीन परिसीमा के बिन्दु विषयक निष्कर्ष की समीक्षा तक भ्रमित होकर प्रकरण में अंतर्वलित गुणदोषों पर कोई चर्चा नहीं हो सकती । गुणदोषों पर समीक्षा केवल तभी हो सकती है जब अपीलों में परिसीमा बाधित होने की बाधा पार कर ली जाती है ।

(5) विधि का यह मान्य सिद्धांत है कि निगरानी में केवल विधिक तथ्य ही उठाये जायेंगे परन्तु आवेदक द्वारा निगरानी मेमों में ऐसा कोई विधिक तथ्य नहीं उठाया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि अधीनस्थ न्यायालयोंने उनके द्वारा पारित आदेश में कोई गलती की हो इसलिये निगरानी में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है ।

(6) नामान्तरण पंजी क्रमांक 7 का आदेश वर्ष 1996 का है तथा सहमतिपूर्वक विभाजन आदेश वर्ष 2008 में पारित किया गया है, जबकि अपील वर्ष 2012 में प्रस्तुत की गई है । इतने अधिक विलम्ब के प्रत्येक दिवस का स्पष्ट कारण नहीं दर्शाया गया था ।

(7) वर्ष 2007 में मृतक भैयालाल द्वारा जीवनकाल में ही एकमात्र पुत्र को जो संपत्ति प्रदान की गई थी वह पिता पुत्र के मध्य पारिवारिक व्यवस्थापन के रूप में थी । मृतक भैयालाल की मृत्यु होने पर फौती नामान्तरण एवं बटवारे में उत्तराधिकारी स्वरूप विवादित भूमि के नामान्तरण एवं क्रेता कालूराम के पक्ष में नामान्तरण पर आवेदक की सहमति प्रदान की गई है तथा ग्राम कोटवार की गवाही है इस प्रकार आवेदक की पूर्ण जानकारी में पूर्ण प्रविष्टियॉ बावत तथ्य होना अभिलिखित करते हुये पारित आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है ।

तर्क के समर्थन में न्यायदृष्टांत 2010 आरएन 254, 2011 आरएन 310, 2002 आरएन 23 एवं 2018 आरएन 118 प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंजी क्रमांक 7 पर वर्ष 1996 में सभी वारिसों के नाम चढ़े है, लेकिन Over Writing कर अनावेदक का 1/2 हिस्सा लिखा जाना पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 1/2 हिस्सा देने का आधार भी स्पष्ट नहीं किया गया है, जबकि भैयालाल के जीवनकाल में ही गंगाराम को कुल 31.86एकड़ भूमि में 15.71 एकड़भूमि पंजी क्रमांक 48 पर वर्ष 1994 में दिया जाना स्पष्ट है। अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने ऐसा लगता है कि बिना पंजी का अवलोकन किये, जिसकी

प्रविष्टि स्पष्टत: सन्देहास्पद है, अपीलें समय सीमा बाह्य मानकर खारिज कर दी है, जबकि अभिलेख में छल-कपट कर कराई गई प्रविष्टि पर समय सीमा का आधार लागू नहीं होता है । अत: इस प्रकरणमें यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे सभी पक्षों को सुनकर पात्रता अनुसार पुन: आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-8-2017, अनुविभागीय अधिकारी गैरतगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-7-2015 एवं तहसीलदार, गैरतगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-6-1996 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे सभी पक्षों को सुनकर पात्रता अनुसार पुन: आदेश पारित करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर